कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 343. दिनांकः– 28/06/2023

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 02/2023 वीं बैठक दिनांक 19.06.2023 को उपायुक्त (जोन–1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 168 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–**

01. प्रश्नगत भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. प्रस्तावित भूमि के मानचित्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का अंकन किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 164 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–**

01. प्रश्नगत भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. प्रस्तावित भूमि के मानचित्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का अंकन किया जावें।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(सुरणपालसिंह)
TDR Z-1

मृदुला शेखावत
आर.ए.एस.
उपायुक्त

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 62/8 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–**

01. प्रश्नगत भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. प्रस्तावित भूमि के मानचित्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का अंकन किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 64 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–**

01. प्रश्नगत भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. प्रस्तावित भूमि के मानचित्र में जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का अंकन किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 167 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में वाद सम्बधित जॉच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(सुरजपालसिंह)
TDR

मृदुला शेखावत
आर.ए.एस.
उपायुक्त

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 118/2 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में रिकॉर्ड व मौका अनुसार रक्षा विभाग से प्रश्नगत भूमि कि दुरी के संबध में रिपोर्ट प्राप्त कि जावे व आवश्यक हो तो जोनल प्लान में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण सुरजपालसिंह TDR-(Z-1)	अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर	उपायुक्त (जोन–1) जोधपुर विकास प्राधिकरण मृदुला शेखावत आर.ए.एस. उपायुक्त

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/344–349. दिनांकः– 28/06/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन–1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन–1, जो.वि.प्रा, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर